राजस्व अपील संख्या : 7/2026

उनवान : फतेहसिंह बनाम पुराराम अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 7/2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2026/20

अपीलाण्ट्स :— बनाम रेस्पोडेण्ट्स :—

फतेहसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह जाति राजपुत निवासी गुड़ा देवड़ान मेड़तियान तहसील जिला पाली राज.

पुराराम पुत्र चेनाजी जाति मेघवाल, निवासी गुडा जेतावतान, तहसील देसूरी राज.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 01/2018 उनवान पुराराम बनाम फतेहसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2019 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :—

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विश्वेन्द्र सिंह कुम्पावत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

—:निर्णयः—

दिनांकः 29.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर **तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 01/2018 उनवान पुराराम बनाम फतेहसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2019 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।** अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम, की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि:—

1. मौजा डायलना कलां तहसील देसूरी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 368 रकबा 1.1800 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की आराजी विद्यमान है परन्तु उक्त आराजी पर कभी भी प्रार्थी पुराराम का कब्जा काश्त नहीं रहा एवं उक्त आराजी पर ताराचन्द पुत्र सीताराम जाति जीनगर निवासी पाली का भी कभी कब्जा नहीं रहा। जिससे भी इस तथ्य पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है।
2. यह है कि रेस्पोडेण्ट दिनांक 07.08.2013 को ताराचन्द पुत्र सीताराम जाति जीनगर से जमीन खरीदना बताता है वो गलत है ताराचन्द व रेस्पोडेण्ट पुराराम के मध्य मात्र कागजों में विक्रय विलेख हुआ होगा परन्तु मौके पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 7/2026

उनवान : फतेहसिंह बनाम पुराराम अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

कभी भी ताराचंद का कब्जा नहीं रहा एवं विक्रय विलेख दिनांक 07.08.2013 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में बिना कब्जे के रेस्पोडेण्ट पुराराम के नाम पर नामान्तरकरण भी गलत स्वीकृत किया है एवं विक्रय विलेख के आधार पर जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उस नामान्तरकरण बाबत पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने कोई मौके की कब्जे के संबंध में जांच नहीं की एवं सरपंच ने भी नामान्तरकरण की कोई सरसरी जांच नहीं की जिससे विक्रय विलेख दिनांक 07.08.2013 के आधार पर रेस्पोडेण्ट पुराराम के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया वो शून्य हैं एवं दिनांक 07.08.2013 का जो विक्रय विलेख रेस्पोडेण्ट पुराराम , ताराचन्द से करवाने का बता रहा हैं वो विक्रय विलेख भी शून्य है कारण कि ताराचन्द का उक्त जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं रहा जिससे विक्रय विलेख में कब्जे सौपने की बात गलत लिखी हुई है एवं जो विक्रय विलेख पंजीबद्ध किया गया वो मात्र कागजों में पंजीबद्ध किया गया हैं। पंजीयन अधिकारी ने दिनांक 07.08.2013 के विक्रय विलेख में लिखी इबारत की कोई मौके की जांच नहीं की एवं पंजीयन अधिकारी ने कब्जा से संबंधित मौके की कोई जांच नहीं की एवं मात्र दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया जो दस्तावेज विधि के विपरित होने से शून्य है। एवं ऐसे शून्य दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेण्ट पुराराम को कोई कानूनी खातेदारी हक अधिकारी प्राप्त नहीं होते हैं एवं मात्र रिकॉर्ड में पुराराम का नाम इन्द्राज होने से पुराराम ने गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे भी इस तथ्य पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है।

3. यह है कि मौजा डायलाना कलां तहसील देसूरी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 1.1800 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम के पुराने खसरा नम्बर 86 रकबा 7 बीघा की भूमि पूर्व में हेमा पुत्र मोटा के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हो गई जबकि उक्त जमीन पर कभी भी हेमा पुत्र मोटा का कब्जा काश्त नही रहा जिससे भी यह साफ जाहिर है कि हेमा पुत्र मोटा ने भी मात्र कागजों में विक्रय विलेख ताराचन्द जीनगर के नाम पर गलत करवाई जो दस्तावेज शून्य है एवं ताराचन्द ने मात्र कागजों में विक्रय विलेख रेस्पोडेण्ट पुराराम के नाम पर करवाया जो दस्तावेज भी शून्य है।
4. यह है कि मौजा डायलनाकलां के नये खसरा नम्बर 361 के पुराने खसरा नम्बर 86 रकबा 7 बीघा की जमीन के सम्बन्ध में पूर्व में सहायक कलेक्टर बाली मुकाम देसूरी के न्यायालय में एक राजस्व मुकदमा संख्या 200/85 सरकार बनाम हेमा वगैराह के नाम से अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 7/2026
उनवान : फतेहसिंह बनाम पुराराम अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अधिनियम, के तहत चला था जिससे भी यह साफ जाहिर होता है कि उक्त आराजी पर कभी भी हेमा का कब्जा नहीं रहा एवं कभी भी ताराचंद का कब्जा नहीं रहा एवं कभी भी रेस्पोडेण्ट पुराराम का कब्जा नहीं रहा। आदेश की प्रतिलिप सलंग्न है। एवं इसी भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में एक अपील चली जिसका निर्णय दिनांक 22.09.1983 को हुआ जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर हेमा व ताराचन्द जीनगर व रेस्पोडेण्ट पुराराम का कभी भी कब्जा नहीं रहा व रेस्पोडेण्ट का कब्जा लेने का प्रार्थना पत्र कानूनन म्याद बाहर हो चुका था जिससे कानूनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया मेन्टेनेबल नहीं था।

5. यह है कि मौजा डायलना कलां के नये खसरा नम्बर 361 जिसके पुराने खसरा नम्बर 86 रकबा 7 बीघा के संबंध में पूर्व में राजस्व न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर न्यायालय बाली मुकाम देसूरी के न्यायालय में राजस्व वाद निर्णीत हो चुका है एवं इसी जमीन के संबंध में पूर्व में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील भी निर्णीत हो चुकी है जिससे भी रेस्पोडेण्ट का धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नही था। जिसके निर्णय में समस्त तथ्य पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है।

6. यह है कि धारा 217 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपरोक्त रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सुनवाई का श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उपरोक्त निर्णय पारित किया है अतः अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 उनवान पुराराम बनाम फतेहसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2019 को खारिज फरमावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अपील की सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल रिकॉर्ड के साथ प्रेषित पत्र क्रमांक राजस्व/2026/ 509 दिनांक 07.04.2026 का अवलोकन किया गया। उक्त पत्र के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी फतेहसिंह द्वारा इसी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2019 के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली में भी अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील का निर्णय करते हुए

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 7/2026
उनवान : फतेहसिंह बनाम पुराराम अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा निर्णय दिनांक 08.02.2019 को यथावत रखते हुए अपील को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार विवादित निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा पूर्व में सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है, जिस पर निर्णय भी पारित हो चुका है।

उपरोक्त समस्त विवेचना, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 509 दिनांक 07.04.2026 तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह निर्विवाद रुप से सिद्ध होता है कि अपीलार्थी फतेहसिंह द्वारा विवादित निर्णय दिनांक 08.02.2019 के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपीलीय उपाय अपनाया जा चुका है तथा उक्त अपील का अंतिम निर्णय भी पारित हो चुका है। अतः समान पक्षकारों के मध्य, समान विषय–वस्तु एवं समान कारण–कार्यवाही के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय किए जाने के कारण वर्तमान अपील धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिपादित Res Judicata के सिद्धान्त से बाधित है। फलतः विवादित प्रश्न पर पुनः विचार किया जाना विधि सम्मत नहीं है तथा वर्तमान अपील पोषणीय नहीं पाई जाती है।

परिणामस्वरुप, वर्तमान अपील धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित Res Judicata के सिद्धान्त से बाधित एवं अपोषणीय पाए जाने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली